

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 67 राँची, शुक्रवार

2 माघ, 1937 (श॰)

22 जनवरी, 2016 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0जी0-33/2015-129/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को अनुमित दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम संख्या-17, 2015)

पर्यटक व्यापार में कार्यरत व्यक्तियों के निबंधन और पर्यटन विकास प्राधिकारों का गठन और उससे संबंध मामलों या उससे संबंधित विधि को अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- 1. (1) (1) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन विकास और **संक्षिप्त नाम विस्तार** निबंधन अधिनियम, 2015 कहलाएगा। **और प्रारम्भ।**
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर है।
 - (3) यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से से प्रवृत होगा।
- 2. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस **छूट** अधिनियम के समस्त या कोई उपबन्ध, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धों के अधिन साधारणतया लागू नहीं होंगे :
 - (i) दान प्रकृति के लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिसर या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर की कोई श्रेणी,
 - (ii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए, धारित और नाम मात्र किराये पर दिये गये परिसर,
 - (iii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक या दान हित प्रयोजन के लिए धारित और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित परिसर,
 - (İV) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा या चलाया जा रहा विश्राम-गृह, डाक बंगला, सर्किट हाउस, निरीक्षण कुटीर, सराय या कोई संस्था अथवा परिसर,
- (2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसी शर्तो तथा परिस्थितियों के अध्यधीन, यदि कोई हो, अध्याय-प्ट के सभी या उनमें से कोई उपबन्ध, ऐसे होटलों या संस्थाओं, या होटलों अथवा संस्थाओं के ऐसी श्रेणी पर लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

परिभाषाएँ:

(3) इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हों :

- (क) ''साहिसक क्रीड़ा'' से अभिप्रेत है भाग लेने वाले व्यक्ति के जीवन या अंग का जोखिम वाला, यथास्थिति, भूमि पर या जल में अथवा वायु में क्रीड़ा या आमोद-प्रमोद हेतु बाह्य क्रिया-कलाप, जिसमें जल-क्रीड़ा, वायु-क्रीड़ा, पैदल चलना (ट्रेकिंग), रॉक क्लाइंम्बिंग, रापिटंग, बंजी जंपिंग, बैलूनिंग या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कोई अन्य खेल-कूद;
- (ख) ''साहसिक क्रीड़ा संचालक' ' से अभिप्रेत हैं व्यवसायिक आधार पर साहसिक खेलकूद अर्थात प्रशिक्षण, आमोद-प्रमोद या क्रीड़ा के प्रयोजन के लिए लगा हुआ या लगने का प्रस्ताव करने वाला, यथास्थिति, कोई व्यक्ति या संगठन या उद्यमः
- (ग) ''सुख-सुविधा'' के अन्तर्गत सड़क, जल आपूर्ति, बाजार-सड़कों पर प्रकाश, जल निकास, मल प्रणाली, शौचालय, सूचना केन्द्र, उपहार दुकान, कूड़ा निष्पादन, बार, रेस्तराँ, होटल, मोटल, गोल्फ कोर्स, मनोरंजन पार्क, अतिथिशाला, विद्यालय, आवास, अस्पताल और मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएँ तथा अन्य ऐसी सह्लियतें और सुविधाएँ, जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख-सुविधा विनिर्दिष्ट करें;
- (घ) ''**प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित पर्यटन विकास प्राधिकार;
- (ड) ''निबंधन प्रमाण-पत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र;
- (च) ''विभाग'' से अभिप्रेत है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार;
- (छ) ''**सरकार**'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
- (ज) ''**गाईड**' ' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो पर्यटकों के लिए स्वयं वैतनिक गाईड के रूप में लगा है;
- (झ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या छावनी बोर्ड या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरणः
- (ञ) ''**अनाचार**' के अन्तर्गत है छल, दलाली, प्रतिरूपण,

ठहरने या यात्रा व्यवस्था के स्वतंत्र चयन में बाधा डालना, इस अधिनियम के अधीन नियत से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराये की सूची प्रदर्शित करने में असफल रहना, कैशमेमो देने में असफल रहना, निर्धारित अवधि के भीतर तथा सहम हुई शर्तो के अनुसार आदेश के निष्पादन में जानबूझ कर असफल रहना और साहसिक खेल-कूद संचालक द्वारा उपलब्ध होने पर पर्यटकों को आवास सुविधा की व्यवस्था करने में असफल रहना, और घटिया उपस्कर और अप्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था करना:

स्पष्टीकरण - ''दलाली' पद से अभिप्रेत है आवास-सुविधा, परिवहन, सैर-सपाटे के लिए अवपीड़ित करना या किसी विशेष परिसर, प्रतिष्ठान व्यक्तिगत लाभ के प्रतिफल से पर्यटन संबंधी किसी अन्य सेवा के लिए परेशान करना;

- (ट) ''**राजपत्र**' से अभिप्रेत है राजपत्र, झारखण्ड;
- (ठ) ''विहित' ' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
- (ड) ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी, परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न प्राधिकारी अधिसूचित किये जा सकेंगे।
- (ढ) ''**विनियम**'' से अभिप्रेत है, धारा-4 के अधीन गठित प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन, बनाया गया विनियम:
- (ण) ''**नियम**' ' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम;
 - (त) ''**सीजन**'' से अभिप्रेत है 15 सितम्बर से 15 मार्च और 15 अप्रैल से 15 जून तक की अवधि और शेष अवधि ''ऑफ सीजन'' होगी;
 - (थ)

 ''**पर्यटन इकाई**'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय
 समय पर पर्यटकों को सुविधाएँ और सेवाएँ उपबन्धित करने

वाला कोई स्थापन, यथा अधिस्चित जिसमें होटल रिजार्ट, मोटल, समय शेयर इकाईयों, खण्ड (अपार्टमेन्ट), गृह-नौका, मोटर करवाँ, अतिथि गृह, यात्री निवास, रेस्तराँ और शराब घर, आमोद-प्रमोद पार्क, थीम पार्क, जल-क्रीड़ा केन्द्र, वायु-क्रीड़ा केन्द्र, घनीय प्रतिफल हेतु साहसिक खेल-कूद के लिए प्रशिक्षण संस्थान/पर्यटन उद्योग के लिए कारोबार करने वाले और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिस्चित, किसी अन्य प्रकार का स्थापन भी शामील है;

- (द) ''**पर्यटक इकाई संचालन**'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो पर्यटन इकाई का स्वामी हो, इसे चलाता हो या परिचालन करता हो, तथा इसके अन्तर्गत स्वात्वधारी की ओर से काम-काज का प्रबंधन करने या परिचालन करने वाला व्यक्ति भी शामील है;
- (ध) ''**पर्यटक**'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों सहित, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह;
- (न) ''**यात्रा अभिकर्ता**'' से अभिप्रेत है धनीय प्रतिफल हेतु पर्यटकों के लिए यात्रा व्यवस्था के कारोबार में लगा हुआ व्यक्तिः

स्पष्टीकरण- ''यात्रा व्यवस्था' ' शब्द प्रयोग के अन्तर्गत शामिल हैः

- (क) किसी भी ढंग द्वारा, परिवहन के लिए इंतजाम;
- (ख) खान-पान सहित या रहित आवास की व्यवस्था; और
- (ग) अन्य सेवाएँ करना, जैसे कि क्रीड़ा और खेल-कूद या पर्यटक के व्यक्तिगत सामान की प्राप्ति या प्रेषण अथवा पर्यटक के फोटोचित्र लेने की व्यवस्था करना, गाईडों, फोटोग्राफरों को भाड़े पर लेना, यात्रा या साहसिक क्रीड़ा के लिए उपस्करों का इंतजाम करना।

अध्याय-2

पर्यटन विकास प्राधिकार

(4) (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विनिर्दिष्ट पर्यटक स्थल जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ''पर्यटन विकास प्राधिकार'' के नाम से एक प्राधिकार की स्थापना कर सकेगी।

प्राधिकार की स्थापना और गठन।

ऐसे पर्यटक स्थल को अधिसूचित करते समय इसके विस्तार एवं क्षेत्राधिकार का भी विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा, ताकि ऐसे प्राधिकार के क्षेत्राधिकारी को स्पष्ट रूप से कर्णांकित किया जा सके।

- (2) प्राधिकार, उपर्युक्त नाम का एक निगमित निकास होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी, या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।
- (3) (İ) प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक एक कार्यकारी निदेशक तथा छः अन्य निदेशक होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे और जो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त इस निमित विहित निबंधनों और शर्तों पर अपना पद धारण करेंगे।
 - (ii) प्राधिकार के निदेशक सरकार के अधिसूचना द्वारा, इन व्यक्तियों में से, जिन्होंने पर्यटन उद्योग के विकास और प्रोन्नित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, या निपुणता प्राप्त की है, और जिनको पर्यटन व्ययवसाय में कम से कम दस वर्षों के कार्यों का अनुभव है, शामिल किए जायेगें।
 - (iii) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान सचिव/सचिव

प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।

- (İV) राज्य सरकार, यदि ऐसा समीचीन हो तो, एक ही व्यक्ति को प्राधिकार के अधयक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।
- (4) (i) संबंधित जिले का उपायुक्त या जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया पदाधिकारी प्रधिकार का प्रबंध निदेशक होगा। प्रबंध निदेशक प्रधिकार का उपाध्यक्ष भी होगा तथा इससे संबंधित समस्त कार्यों का निर्वाहन करेगा।
 - (ii) प्राधिकार के कार्यकारी निदेशक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध के अधार पर प्रथमतः तीन वर्षों के लिए की जाएगी।

नई कंडिका ऐसी सेवाएँ, हालांकि असंतोषजनक कार्य अथवा इस्तीफा के आधार पर किसी पक्ष को 15 दिनों की सूचना देते हुए समास की जा सकेगी।

- (iii) प्राधिकार के कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:
 - (क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका सम्चित लेखा रखेगा;
 - (ख) वह प्राधिकार की निधी से वेतन और भतों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्ची को पूरा करने के लिए धन निकालेगा;
 - (ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा;
 - (घ) वह प्राधिकार का सदस्य सचिव भी होगा तथा तत्संबंधी समस्त कार्यो का निर्वहन करेगा।
 - (ड) वह किसी भी अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर

प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

(5) गैर-सरकारी निदेशकों को ऐसे भतों का भुगतान किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

पदावधि।

- (6) प्राधिकार का प्रत्येक निदेशक तथा पदाधिकारी और कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
- (5) (1) गैर-सरकारी निदेशक, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अविध के लिए प्राधिकार का पद धारण करेगे और वर पुनः नियुक्त होने के पात्र होगें।
 - (2) यदि सरकार मानती है कि किसी गैर-सरकारी निदेशक का कार्यालय में बने रहना प्राधिकार के हित में नहीं हैं, तो सरकार उसकी अवधि समाप्त करने का आदेश पारित कर सकेगी और तदुपरि, इस बात के होते हुए कि यह अवधि जिसके लिए वह मनोनीत किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, प्राधिकार का सदस्य नहीं रहेगे।
 - (3) प्राधिकार का कोई गैर सरकारी निदेशक, अध्यक्ष के नाम पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से वह प्रभावी होगा।
- (6) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निरर्हित होगा, यदि:-

निरर्हता।

- (क) वह ऐसे किसी अपराध, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अब्तग्रस्त है, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डदिष्ट किया गया है; या
- (ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (ग) वह विकृतचित का है; या
- (घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा में पदच्युत कर दिया या हटा दिया गया है; या
- (ड) उसका स्वयं या किसी भागी, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, प्राधिकार के द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्षत; कोई अंश या हित है।

- 7. (1) प्राधिकार की साधारण बैठक, त्रिमास में एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, समय और स्थान पर होगी।
- प्राधिकार की बैठकें।
- (2) अध्यक्ष, जब कभी उचित समझता हो, विशेष बैठक बुला सकेगा।
- (3) प्राधिकार की प्रत्येक बैठक, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में की जाएगी।
- (4) प्राधिकार का सदस्य-सचिव बैठक के कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व, प्राधिकार के सभी सदस्यों की बैठक की कार्यसूची के साथ नोटिस उपलब्ध करवाएगा।
- (5) प्राधिकार के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से बैठक की गणपूर्ति होगी।
- (6) प्राधिकार की बैठक की कार्यवाहियाँ, अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी और प्राधिकार के सदस्य -सचिव द्वारा संधारित की जाएगी।
- (7) प्राधिकार अपने कृत्यों और क्रिया-कलापों का, पालने करने के लिए, जैसा आवश्यक समझे, उपसमितियाँ, बना सकती है।
- (8) उप-धारा (7) के अधीन बनाई गई उप-समितियों के कर्तव्य, कृत्य और पदाविध प्राधिकार द्वारा अवधारित किये जाएंगे।
- (1) प्राधिकार की अपनी स्थापना होगी, जिसके लिए वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाएगा।

प्राधिकार की स्थापना, शक्तियाँ और कृत्य

- (2) प्राधिकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विभाग के आवश्यक कार्यक्रमों और सभी क्रिया-कलापों के प्रबंध को सुव्यवस्थित रूप से निष्पादित करेगा और निष्पादित करवाएगा।
- (3) प्राधिकार:-
 - (क) प्राधिकार स्थल/क्षेत्र तथा उसकी सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन, पट्टा-निष्पादन और ऐसा आवंटन, पट्टा रद्द करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने

और उससे संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

- (ख) पर्यटन से संबंधित सेवाएँ, यथा सूचना, आरक्षण, मार्गदर्शन, पार्किंग, प्रसाधन, पर्यटक स्थलों की साफाई, पर्यावरण उन्नत करने, प्रचार इत्यादि, की व्यवस्था और अनुरक्षण कर सकेगा;
- (ग) पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बनाए रखने में स्थानीय निकायें की सहायता कर सकेगा;
- (घ) उपवन, झील और आमोद-प्रमोद केन्द्र, फव्वारों या कोई अन्य ऐसी सुविधाएँ बनवा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा, जो क्षेत्र के पर्यटन मूल्य की वृद्धि करे;
- (ड) पर्यटन के विभिन्न प्रक्षेत्रों और सम्बद्ध क्रिया-कलापों में लगे हुए उद्योगों के लिए विकासात्मक उपाय कर सकेगाः
- (च) विभाग के साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, सभी पर्यटन इकाईयों और सम्बद्ध क्रिया-कलापों के सन्निर्माण, विस्तार, अनुरक्षण और संचालन को ऐसी रीति में, जिससे पर्यटन क्रिया-कलाप पर्यावरणिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से संपोषित बन जाएँ, विनियमित कर सकेगा;
- (छ) अपने क्षेत्र के लिए पर्यटन मास्टर-प्लान तैयार कर सकेगा और पर्यटन संबंधी क्रिया-कलाप करने वाली सभी पर्यटन इकाईयाँ और स्थापनाएँ, उपर्युक्त मास्टर प्लान का अनुपालन करेंगी तथा प्राधिकार मास्टर प्लान का अनुपालन नहीं करने वाली इकाईयों या स्थापनाओं को बन्द करने का आदेश कर सकेगा;
- (ज) ऐसे स्थल में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु ऐसे अधिसूचित पर्यटक स्थल का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की धार्मिक भावनाओं के अनुकूल ऐसे अधिसूचित पर्यटक स्थल में समस्त ऐसी सेवाओं

को विनियमित कर सकेगा; और

- (झ) को अपने क्षेत्र की सड़कों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की समपत्ति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्वरों की शक्तियाँ होंगी;
- (ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों, जैसा कि विभाग या सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाएँ, का अनुपालन करेगा।

(4) प्राधिकार:-

- (क) इसके द्वारा उपलब्ध करायी गई किन्ही प्रत्यक्ष सेवाओं पर शुल्क प्रभारित कर सकेगा; और
- (ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा किसी अन्य स्रोत से दान या अनुदान प्राप्त कर सकेगा तथा किसी स्रोत से राज्य सरकार की पूर्वानुमित से उधार भी ले सकेगा।
- (5) राज्य सरकार समय-समय पर, प्राधिकार को कोई ऐसा अन्य कार्य सौंप सकेगी जो पर्यटन स्थल और उसकी सुख-सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास या अनुरक्षण तथा उससे संबंधित बातों से संबंद्ध हो।
- (6) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आवास, विद्यालय, इत्यादि जैसी नागरिक एवं पर्यटक सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण, अतिक्रमण हटाने, आदि के लिए, प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक में अन्य अधिनियमों के अधीन ऐसी शिक्तयाँ निहित कर सकेगी, जिनका इस संबंध में तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकार या कानूनी निकाय अथवा राज्य एजेन्सी प्रयोग कर सकती है।
- (7) यदि प्राधिकार की राय में उसके द्वारा किसी विकास क्षेत्र में निष्पादित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप, विकास से

लाभान्वित क्षेत्र की किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया हो, तो प्राधिकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदित से, सम्पत्ति के स्वामियों या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति पर विकास कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए, सुधार प्रभार लगा सकेगा;

परन्तु, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधिकृत भूमि पर कोई सुधार प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

- (8) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी सम्पति के संबंध सुधार प्रभार वह रकम होगी, जो विकास-स्कीम का निष्पादन होने से पूर्व सम्पत्ति को भवन सहित मानकर प्राक्कलित मूल्य से विकास स्कीम का निष्पादन पूरा हो जाने पर उसी रीति से प्राक्कलित सम्पत्ति का मूल्य से जितना अधिक होता हो, उसके एक-तिहाई के बराबर हो।
- (9) राज्य सरकार प्राधिकार के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किसी भूमि का अर्जन कर सकेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन लोक प्रयोजन समझा जाएगा।
- (10) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार विकास या उपयोग के प्रयोजनार्थ, झारखण्ड राज्य में निहित कोई विकसित या अविकसित भूमि प्राधिकार को सरकार द्वारा यथा निनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर पट्टा विलेख द्वारा अंतरित कर सकेगी।
- (11) यदि उपधारा (10) के अधीन प्राधिकार के जिम्मे इस प्रकार दी गई कोई भूमि किसी समय राज्य सरकार के लिए अपेक्षित हो तो प्राधिकार इसे राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर देगा।
- (12) फीस, लगान या प्रभार मद्दे, अथवा भूमि, भवन या अन्य चल और अचल सम्पत्ति के निपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के रूप में प्राधिकार को देय कोई धन प्राधिकार द्वारा लोक माँग वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांडस रिकवरी ऐक्ट), 1914 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।
- (13) प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राजपत्र में संकल्प प्रकाशित कर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(9) (1) प्राधिकार की अपनी निधि होगी जिसमें निम्नांकित प्राप्तियाँ जमा की जाएँगी और प्राधिकार के सभी भुगतान उसमें से किए जाएँगेः प्राधिकार की निधियाँ

- (क) प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सारी फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्माने;
- (ग) प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन:
- (घ) प्राधिकार द्वारा वित्तीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किये गये ऋण-पत्रों (डिवेंचर) से प्राप्त सभी धन।
- (ड) प्राधिकार गैर सरकारी स्रोत जैसे चंदा, गैरसरकारी क्रिण आदि से भी निधि की प्राप्ति कर सकती है।
- (च) प्राधिकार सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोत से प्राप्त आय का प्रबंधन वित्तीय नियमों के अनुसार करेगी।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकार को, प्राधिकार के सभी प्रशासनिक व्ययों और उद्देश्यों पर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए, ऐसी राशि जो वह उचित समझें, खर्च करने की शिक्त होगी और ऐसी राशि प्राधिकार की निधियों में से व्यय के रूप में मानी जाएगी।
- (3) प्राधिकार के खाते में जमा समस्त राशि, जिसे उप-धारा
 (2) में उपबन्ध के अनुसार तुरन्त उपयोजित न किया
 जा सकता हो, को पी एल खाता में जमा की जाएगी।
- 10. (1) प्राधिकार प्रत्येक वर्ष ठीक अगले वित्त वर्ष के लिए एक बजट पारित करेगा, जिसमे प्राधिकार के अनुमानित

बजट, लेखा और अंकेक्षण

- आमद-खर्च दिखाए जाएंगे, और उतनी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और राज्य सरकार ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समीचीन समझा जाय।
- (2) प्राधिकार उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित रखेगी तथा लाभ और हानि लेखा तुलनपत्र सहित लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए, तैयार करेगा।
- (3) प्राधिकार के लेखाओं का वार्षिक अंकेक्षण, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा किया जाएगा और उसके द्वारा ऐसे अंकेक्षण से संबंद्ध किया गया कोई व्यय, प्राधिकार द्वारा झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा को भुगतान किया जाएगा तथा प्राधिकार उसे विभाग को अग्रसारित करेगा।
- (4) ऐसे अंकेक्षण के संबंध में, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा के वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे झारखण्ड के महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशेषतया परिषद् की पुस्तकों, लेखों सम्बद्ध अभिश्रवों, दस्तावेजों और कागजपत्रों को प्रस्तुत किये जाने की माँग का अधिकार होगा।
- (5) झारखण्ड के वित्त विभाग के अन्तर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा यथा प्रमाणित, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्राधिकार के लेखाएँ प्राधिकार द्वारा विभाग को वार्षिक रूप में अग्रसारित किए जाएंगे।
- 11. (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा प्राधिकार के लेखा से संबंधित किसी विशेष सम्ट्यवहार या वर्ग या संट्यवहार की श्रृंखला की विशेष अविध के लिए ऐसे ट्यिक या अभिकरण द्वारा जैसा वह ठीक समझे, विशेष अंकेक्षण करवा सकेगी।
 - (2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, प्राधिकार अंकेक्षण के लिए ऐसे लेखाएँ प्रस्तुत करेगी या करवाएगी और उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए

लेखों का विशेष अंकेक्षण व्यक्ति या अभिकरण को ऐसी सूचना जैसी उक्त-व्यक्ति या अभिकरण अंकेक्षण के प्रयोजन के लिए अपेक्षा कर, देगी।

12. प्राधिकार का सदस्य -सचिव, वितीय वर्ष के अवसान की तारीख से तीन मास के भीतर प्राधिकार के क्रिया-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी एक प्रति विभाग को अग्रसारित करेगा। वार्षिक प्रतिवेदन।

अध्याय - 3

पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक क्रीड़ा आपरेटर का निबंधन:

13. (1) पर्यटन इकाई चलाने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, निबंधन के लिए, पर्यटन इकाई चलाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को विहित रीति में आवेदन करेगा: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को झारखण्ड राज्य के भीतर, पहले से ही पर्यटन इकाई चलाने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की

पर्यटन ईकाई का निबंधन।

करेगा, परन्तु यह और कि पर्यटन इकाई का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति पर्यटन इकाई में कोई परिवर्तन या संवर्धन करता है तो ऐसे परिवर्तन या संवर्धन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नये निबंधन के लिए आवेदन करेगा.

तारीख से नब्बे दिन के भीतर निबंधन के लिए आवेदन

- (2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अविध के भीतर, निपटारा किया जाएगा ऐसा न होने पर, आवेदन को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।
- (3) कोई भी व्यक्ति किसी पर्यटन इकाई का संचालन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुरूप उसका निबंधन न किया जाए।

14. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक पर्यटन अभिकर्ता या गाईड के रूप में कारोबार नहीं करेगा, जबतक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निबंधित नहीं हो जाता:

यात्रा अभिकर्ता या गाईड का निबंधन।

परन्तु कोई व्यक्ति गाईड के रूप में निबंधित किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अर्हताएँ प्राप्त नहीं कर लेता जैसी विहित की जाएँ,

परन्तु यह और कि किसी विहित अर्हता के होते हुए भी, जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, गाईड के रूप में कार्यरत थे, स्वयंमेव ही गाईडों के रूप में निबंधित किए जाएंगे।

- (2) पर्यटन अभिकर्ता या गाईड के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में निबंधन के लिए आवेदन करेगा:
 - परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को झारखण्ड राज्य में यात्रा, अभिकर्ता या गाईड के रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निबंधन के लिए आवेदन करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अविध के भीतर निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को निबंधन के लिए स्वीकृत समझा जाएगा।
- 15. (1) कोई व्यक्ति साहसिक क्रीड़ा का कारोबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निबंधित नहीं हो जाता।
 - (2) साहसिक क्रीड़ा संस्थान को चलाने या साहसिक क्रीड़ा संचालन के रूप में कार्य करने के लिए, इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य आरम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में, निबंधन के लिए आवेदन करेगा।
 - (3) उप-धारा (2) में, किसी बात के होते हुए भी, साहसिक क्रीड़ा संचालन के रूप में पहले से ही, कार्यरत कोई

साहसिक क्रीड़ा संचालक का निबंधन। व्यक्ति, इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से नब्बे दिन के भीतर, निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

- (4) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, आवेदन के प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिन की अविध के भीतर निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।
- 16. विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक धारा 13, 14, और 15 के अधीन निबंधन से इन्कार नहीं किया जाता, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालन के नाम और विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए संधारित पंजी में प्रविष्टि किये जाने का निर्देश देगा और यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता, गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालन को विहित रीति में निबंधन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

पर्यटन इकाई यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के निबंधन का प्रमाण-पत्र

17. विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से किसी आधार पर यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक का निबंधन करने से इन्कार कर सकेगा:

पर्यटन इकाई यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के निबंधन से इन्कार।

(क) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालन या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपिमश्रण, या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए है;

1860 का 45

(ख) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक को, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है और उन्मोचित नहीं किया गया है .

- (ग) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक खेल-कूद संचालक का नाम धारा 18 के खण्ड (ग), (घ), (इ) या (छ) में उल्लिखित आधार पर पंजी से हटाया गया है, और ऐसे हटाए जाने की तिथि से तीन माह व्यतीत नहीं हुए हैं;
- (घ) यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानक के अनुरूप नहीं हो ;
- (ड) यदि यात्रा, अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा आपरेटर विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता हो :
- (च) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित निबंधन का प्रमाण-पत्र नहीं रखता हो ;
- (छ) यदि पर्यटन इकाई संचालक सबूत पेश करने में विफल हो जाता है कि पर्यटन इकाई की संरचना, झारखण्ड के प्रासंगिक अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या प्रवृत किसी अन्य स्थानीय विधि के अधीन बनायी गयी भवन निर्माण उप-विधियों के अनुसार बनाई गयी है; और
- (ज) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, निबंधन से इन्कार करने के लिए लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने के लिए पर्याप्त आधार हो, परन्तु निबंधन के किसी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि निबंधन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।
- 18. विहित प्राधिकारी, निम्निलिखित में से किसी आधार पर, लिखित आदेश द्वारा पंजी से यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के नाम को हटा सकेगा और धारा 16 के अधीन जारी किये निबंधन के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा ;

रजिस्टर से पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक संचालक का नाम हटाना।

(क) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा

अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, पर्यटन इकाई को चलाना छोड़ देता है या यात्रा अभिकर्ता, या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, जिस के लिए वह निबंधित है, का कार्य करना छोड़ देता है;

- (ख) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपिमश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए है;
- (ग) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है, और उन्मोचित नहीं किया गया है
- (घ) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या तद्धीन बनाये गये नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;
- (इ) यदि पर्यटन इकाई संचालक ऐसे ठहरने वाले को, जो उसकी पर्यटन इकाई के तथा पाश्र्वस्थ भवन के, अन्तःवासियों के लिए कष्टकारक बन रहा हो, निकालने में असफल रहता है या पर्यटन इकाई में जानबूझ कर रखता है;
- (च) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के विरूद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और साबित होती है;
- (छ) यदि पर्यटन इकाई संचालक, प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत गठित उपयुक्त प्राधिकरण या स्थानीय विधियों

के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना संरचनात्मक परिवर्तन करता है ;

- (ज) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक ने दुःअभ्यावेदन या कपट द्वारा निबंधन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है :
- (झ) यदि साहसिक क्रीड़ा संचालक, सुरक्षा के लिए विहित स्तर के अनुसार उपस्कर, जनशक्ति और अन्य सुविधाएँ नहीं रखता है ; और,
- (ञ) यदि साहसिक क्रीड़ा संचालक, यथा विहित सुरक्षा उपाय के विषय में पूर्वावधानी नहीं लेता है ;
- (ट) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक, या यात्रा अभिकर्ता, या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक समय- समय पर विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, या विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा उसके परिसर के निरीक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, या ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होता है, जो पर्यटन के पनपने एवं उसके प्रोत्साहन के लिए घातक हो ;

परन्तु इस धारा के अधीन, यथास्थिति किसी पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक का नाम पंजी से हटाने से पूर्व विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक को ऐसे आधार को दर्शाते हुए, जिन पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात कार्रवाई करना प्रस्तावित है, नोटिस देगा।

19. विहित प्राधिकारी:

विहित रीति से गठित की जाने वाली समिति के परामर्श से:

- पर्यटन इकाई का वर्गीकरण।
- (क) पर्यटन इकाईयों को यथा विहित विभिन्न श्रेणियों, में वर्गीकृत कर सकेगा ; और
- (ख) आवासन के मामले में प्रत्येक कमरे में ठहराए जाने वाले ट्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।
- 20. (1) विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उचित दरें पर्यटन इकाईयों के स्तर/श्रेणी और भोजन, आवासन अधिसूचित करना।

तथा सेवा की गुणवता के स्तर के अनुरूप दरें या सेवा शुल्क, यदि कोई हो, जिन्हें पर्यटकों या ग्राहकों से ''सीजन' ' और ''ऑफ़ सीजन' ' के दौरान खान-पान या आवासन या दोनों के लिए प्रभारित किया जा सकेगा, अधिसूचित करेगाः

परन्तु प्रभारित की जाने वाली दर से संबंध में विवाद की दशा में, धारा 19 के अधीन गठित समिति का निर्णय अन्तिम होगा,

परन्तु यह और कि आवासन की दरें, प्रत्येक कमरे या विनिर्दिष्ट आवासन-सुविधा और आवासन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएँगी।

- (2) विहित प्राधिकारी, उचित दरें, जिन्हें यात्रा अभिकर्ता या गाईड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसके द्वारा उसे इस रूप में लगाने वाले व्यक्ति को दी गई सेवाओं के लिए उससे (व्यक्ति से) प्रभारित कर सकेगा, अधिसूचित करेगा।
- (3) विहित प्राधिकारी, साहसिक क्रीड़ा और अन्य सुविधाओं के स्तर के अनुरूप उचित दरें, जो साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, जो पर्यटकों से उसके द्वारा प्रभारित की जा सकेगी, अधिसूचित करेगा।
- 21. विहित प्राधिकारी, समय-समय पर धारा 20 के अधीन अधिसूचित उचित दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा।
- 22. ऐसे समय तक, जब तक कि विहित प्राधिकारी धारा 19 और 20 के अधीन, यथा अपेक्षित उचित दरें और प्रत्येक कमरे में आवासित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिसूचित नहीं करता, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक उचित दरों को अधिसूचित करेगा और प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक विहित प्राधिकारी को उन्हें सूचित करेगा तथा ''सीजन' की अवधि के लिए पृथक दरें नियत की जाएगी और ऐसी दरें उस वर्ष के प्रथम अक्टूबर से आगामी वर्ष के तीस सितम्बर तक प्रभावी होगी।
- 23. जहाँ विहित प्राधिकारी ने धारा 19 और 20 के अधीन उचित दरें और प्रत्येक कमरे में आवासित किए जाने वाले व्यक्तियों की

उचित दरों का पुनरीक्षण। उचित दरों का अधिसूचित करना, जबतक कि विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न की जाए।

सूचना का प्रदर्शन

संख्या अधिस्चित या पुनरीक्षित की हों, अथवा उस दशा में जहाँ विहित प्राधिकारी ने उचित दरें अधिस्चित नहीं की हो, वहाँ यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, उचित दरें और प्रत्येक कमरे में आवासित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की सूचना, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के कारोबार के परिसर में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा और पर्यटन इकाई संचालक का अभिकर्ता, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसी सूचना की प्रति अपने पास भी रखेगा।

- 24. (1) किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी, यथास्थिति, कोई पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, नियत उचित दरों से अधिक कोई रकम प्रभारित नहीं करेगा।
- उचित दरों से अधिक वस्लीय प्रभार।
- (2) आवासित किए जाने वाले व्यक्ति या किसी ग्राहक के द्वारा नियत उचित दरों से अधिक भुगतान की गई राशि, आवासित किए जाने वाले व्यक्ति या किसी ग्राहक को विहित प्राधिकारी के माध्यम से, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा प्रत्यार्पणीय होगी।
- 25. यथास्थिति, कोई भी पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, आवासित किए जाने वाले व्यक्ति या किसी ग्राहक को, जब तक कि वह नियत उचित दर का भुगतान करता है या भुगतान करने के लिए तैयार और तत्पर है और अपने करार की अन्य शर्तों का, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत अधिनियम है, पालन और कार्यान्वयन करता है, बेदखल या किसी अन्य सेवा से इन्कार नहीं करेगा।

यदि उचित दर भुगतान की गई हो तो बेदखल न किया जाना।

26. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पर्यटन इकाई संचालक उसके द्वारा दी गई आवास-सुविधा का, विहित प्राधिकारी से उस आशय का आदेश प्राप्त करके कब्जा लेने का हकदार होगा कि: पर्यटन इकाई संचालक कब कब्जा वापस ले सकेगा।

(क) आवासित व्यक्ति, ऐसे आचरण का दोषी है जो कष्टकारक है या किसी अन्य आवासित व्यक्ति के लिए क्षोभ पैदा करता है, या

- (ख) आवासित व्यक्ति, आवास-सुविधा प्रभार का भुगतान करने में असफल हो गया है ; या
- (ग) आवासित व्यक्ति आवास-सुविधा के बारे में किये गये करार की अविध की समाप्ति पर, उसे खाली करने में असफल रहा है:

परन्तु इस धारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व विहित प्राधिकारी, संक्षिप्त जाँच कर सकेगा और संक्षिप्त रीति में समुचित आदेश पारित करेगा.

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्षकार, सम्बद्ध जिला के उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा, जो इसे संक्षिप्त रीति में निपटाएगा।

- (2) यदि आवासित व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित हुआ है, उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, तो विहित प्राधिकारी, आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा और प्रत्येक पुलिस अधिकारी उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सहायता करेगा।
- 27. यथास्थिति पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, आवासित और अन्य ग्राहकों को ब्यौरे-बार बिल पेश करेगा और समस्त भुगतान की पावती स्वरूप रसीद देगा।
- 28. यदि पर्यटन इकाई संचालक विशिष्ट दर पर बुकिंग का पुष्टिकरण करता है, तो उस व्यक्ति जिसके लिए आवास-सुविधा बुक की गई है, के पहुँचने के समय चाहे आवास-सुविधा केवल उच्च दरों पर ही उपलब्ध हो, तो उसे उसी दर पर देगा।
- 29. (1) विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का, यथास्थिति, पर्यटन

पर्यटन इकाई
संचालक, यात्रा
अभिकर्ता, गाईड
और साहसिक क्रीड़ा
संचालक द्वारा बिलों
का ब्यौरे-वार पेश
किया जाना।
पर्यटन इकाई
संचालक कब विशेष
दर पर बुकिंग का
पुष्टिकरण कर
सकेगा।
प्रवेश निरीक्षण,
जब्ती की शक्ति
और पर्यटन इकाई

इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो वह यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक की पर्यटन इकाई या कारोबार के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और पूर्व सूचना से या, बिना सूचना के समस्त लेखाओं पंजियों, दस्तावेजों, और अन्य प्स्तिकाओं का निरीक्षण कर सकेगा। संचालक इत्यादि द्वारा सांख्यिकी आंकडे प्रदत्त करना।

- (2) यदि विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के पास कोई संदेह करने का कारण है कि, यथास्थिति कोई पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या अपवंचन किया है, तो ऐसा प्राधिकारी या पदाधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए यथास्थिति ऐसे संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के ऐसे लेखाओं पंजियों, दस्तावेजों या अन्य पुस्तिकाओं को, जैसा आवश्यक हो, जब्त कर सकेगा और उसके लिए रसीद देग तथा उसे तब तक रखेगा, जब तक परीक्षण या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।
 - (3) यथास्थिति प्रत्येक पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक पर्यटकों के आगमन, सम्बद्ध ईकाई द्वारा नियोजित कर्मचारियों तथा विभाग द्वारा यथानिदेशित कोई अन्य सूचना के संबंध में सांख्यिकीय आँकड़ा विहित प्राधिकारी को प्रत्येक माह की अनुगामी दस तारीख तक उपलब्ध कराएगा।
- 30. यथास्थिति यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक उसे नियुक्त करने वाले किसी व्यक्ति या किसी पर्यटक इकाई संचालक, जिसकी पर्यटक इकाई में ऐसा व्यक्ति निवास करता है या निवास करने का आशय रखता है, से धारा 20 के अधीन यथा नियत दरों के अलावा, कोई ''टिप' (बख्शीश), उपदान,

यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा ''टिप' उपहार या कमीशन की माँग नहीं करेग।

(बख्शीश) इत्यादि माँगना।

31. साहसिक क्रीड़ा संचालक, उसकी सेवाएँ लेने वाले व्यक्तियों की, जैसा विहित किया जाए, बीमा रक्षण की व्यवस्था करेगा। बीमा।

अपील।

अध्याय - 4

अपील और पुनरीक्षण

- 32. (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील, सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अपील प्राधिकारी के समक्ष होगी।
 - (2) प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश निर्गत की तिथि से नब्बे दिन के भीतर दायर की जाएगी:

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त नब्बे दिन की अवधि अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से युक्ति-युक्त कारणों द्वारा बाधित हुआ था।

- (3) अपीलार्थी को, अधिवक्ता या विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा तथा विहित प्राधिकारी का ऐसे पदाधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करें।
- (4) िकसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- 33. सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पुनरीक्षण प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या व्यक्ति पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए मामले के अभिलेखों को, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सहीकरण, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के उद्देश्य से मँगवा सकेगा तथा तद्दपरि ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे और ऐसा आदेश अन्तिम होगा:

परन्तु पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन, अपील प्राधिकारी

प्नरीक्षण।

द्वारा पारित आदेश निर्गत की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि अवसान के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, किसी प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए या उसके सम्मुख लिम्बित किसी मामले का अभिलेख मँगवा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

अध्याय - 5

अपराध और शास्तियाँ

- 34. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी संरचना या अतिक्रमण को हटाने या भूमि अथवा भवन के इस्तेमाल करने संबंधी प्राधिकार के द्वारा इस निमित्त लागू किसी विनियमन के प्रतिकूल प्राधिकार के किसी आदेश का उल्लंघन करता है, 1,00,000/- रूपये से अनिधिक जुर्माने से या छह मास से अनिधिक अविध के साधारण कारावास से या दोनों से और दंडित करने के उपरांत यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो 500 रूपये प्रतिदिन से अनिधिक, जब तक व्यक्तिक्रम जारी रहता है, के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।
- प्राधिकार के किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति।

- (2) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अभियोग के क्रम में वसूल किए गए सभी जुर्माने प्राधिकार को चुकाए जायेंगे।
- (3) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से अन्यून पंक्ति के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा।
- 35. इस अधिनियम के अधीन उचित निबंधन के बिना या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा या पर्यटन व्यापार से संबंधित कोई अन्य कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति, छह मास से

निबंधन में व्यतिक्रम के लिए शास्ति। अधिक अविध के साधारण कारावास से या 50,000/- (पच्चास हजार) रूपये से अनिधिक जुर्माने से, या दोनों से और यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो, कम से कम पाँच सौ रूपये प्रतिदिन और अधिक से अधिक दो हजार रूपये प्रतिदिन जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

36. इस अधिनियम के अधीन कथन देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, यि जानबूझ कर मिथ्या कथन करता है या विहित प्राधिकारी को भुलावा देने के लिए किसी सारभूत तथ्य को छुपाता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अविध तीन मास तक की हो सकेगी या पचीस हजार रूपये से अनिधक जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

मिथ्या कथम के लिए शास्ति।

37. कोई व्यक्ति जो, विहित प्राधिकारी की लिखित अनुजा के बिना इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए निबंधन के प्रमाण-पत्र को उधार देता है, हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या पच्चास हजार रूपये से अनिधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

प्रमाण-पत्र का बिना अनुज्ञा के समनुदेशित न किया जाना।

38. (1) इस अधिनियम के अधीन निबंधित कोई व्यक्ति, किसी भी समय, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के माँग करने पर, अपना निबंधन प्रमाण-पत्र दिखाएगा: व्यक्तियों के माँगने पर प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र दिखाया जाना

- (क) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित विधिवत् प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, और
- (ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या निदेशक,पर्यटन झारखण्ड द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, और
- (ग) कोई वास्तविक ग्राहक।
- (2) कोई व्यक्ति, जो प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी के द्वारा माँगने पर अपना निबंधन प्रमाण-पत्र दिखाने या इसे पढ़ने की अनुमति देने से इन्कार करता है, तो वह दस हजार रूपये से अनिधिक जुर्माने से, दण्डनीय होगा।
- 39. कोई व्यक्ति जो अनाचार करता है या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध जिसके लिए कोई भी विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं की है, का उल्लंघन करता है, तो वह साधारण कारावास से,

अनाचार के लिए शाकि। जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या 1,00,000/-रूपये से अनिधिक जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

40. यदि कोई व्यक्ति, विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में या द्वारा उसे प्रदत्त या उसको अधिरोपित किन्हीं शिक्तियों का प्रयोग करने या कन्तव्यों के उन्मोचन में, जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई प्रतिरोध करता है अथवा अन्यथा विध्न डालता है, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या 1,00,000/-रूपये से अनिधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

विधियुक्त प्राधिकारियों को बाधा पहुँचाना।

41. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया प्राधिकृत प्रथम श्रेणी के किसी अन्य दंडाधिकारी द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण पर जहाँ तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों को सम्मिलित करके) के उपबन्ध लागू होंगे।

1974 का 2
मामलों का
संक्षेपतः विचारण
करने की
न्यायालयों की

परन्तु इस धारा के अधीन, विचारण प्रारम्भ होने पर या उसके संक्षेपतः विचारण के दौरान, जब दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से उसका संक्षेपतः विचारण अवांछनीय है, तो दंडाधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किसी साक्षी को, जिसका परीक्षा किया गया है, पुनः बुलाएगा और उपर्युक्त संहिता में उपबन्धित रीति से मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा।

42. विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

कार्यवाहियाँ संस्थित करना।

- 43. विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर सुनवाई करते समय, निम्नलिखित मामलों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी:
 - (क) परिवादी या ऐसे व्यक्ति, जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है को और इस संबंध में उससे (परिवाद से) अपेक्षित साक्षियों को समन करने और

1908 का 5
विहित प्राधिकारी
की साक्षियों तथा
अन्य व्यक्तियों
को समन करने
और हाजिर
करवाने की

उपस्थित करवाने

शक्ति।

अपराधी का

शमन।

- (ख) किसी दस्तावेज को प्रस्त्त करने के लिए, बाध्य करने और
- (ग) शपथ पर साक्षियों का परीक्षण करने और किसी भी व्यक्ति को जिसका साक्ष्य सारभूत प्रतीत होता है, स्वप्रेरणा से समन और उसका परीक्षण कर सकेगा।
- 44. (1) विहित प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर उसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का युक्ति-युक्त संदेह हो, से ऐसे अपराध के शमन के रूप में कोई राशि स्वीकार कर सकेगा और ऐसी प्राप्त की गई राशि से ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध अपराध किया गया हो, उस विस्तार तक, जिसे विहित प्राधिकारी युक्ति-युक्त समझे, क्षतिपूर्ति दे सकेगा।
 - (2) अपराध के शमन पर उसके बारे में अभियुक्त के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और यदि उसके विरूद्ध न्यायालय में पहले से कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो, तो शमन दोषम्कि के रूप में प्रभावी होगा।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

- 45. (1) जब कोई पर्यटन इकाई, जिसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा निबंधन प्रमाण-पत्र लिया गया है, उत्तराधिकार द्वारा या अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को न्यायगत हो जाती है, या इस अधिनियम के अधीन इस विषय में पंजी में की गई किसी विशिष्ट प्रविष्टि में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे न्यायगत या परिवर्तन की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे तथ्य को लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।
- परिवतनों की अधिसूचना

- (2) विहित प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिए संधारित पंजी और निबंधन प्रमाण-पत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा।
- (3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी पंजी से ऐसे व्यक्ति, जिसके पक्ष में प्रमाण-पत्र

जारी किया गया था, का नाम हटा सकेगा और यदि उत्तराधिकारी इस अधिनियम के अधीन निबंधित किए जाने का पात्र नहीं है तो निबंधन के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा।

46. इस अधिनियम के अधीन जब निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द किया जाए तो प्रमाण-पत्र का धारक व्यक्ति, विहित रीति से रद्दकरण आदेश तामील होने की तिथि से सात दिन के भीतर इस विहित प्राधिकारी को वापस करेगा। निबंधन प्रमाण-पत्र वापस करना।

47. इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निबंधन प्रमाण-पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित किए गए आवेदन पर और विहित शुल्क के भुगतान पर नकल प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

नकल प्रमाण-पत्र।

48. इस अधिनियम के अधीन निबंधित यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक विहित प्राधिकारी द्वारा निबंधन प्रमाण-पत्र निगर्त करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् इसका नवीकरण कराएगा और नवीकरण शुल्क, जैसा विहित किया जा, का भी भुगतान करेगा।

प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

49. निबंधन प्रमाण-पत्र, इसके धारक व्यक्ति द्वारा, उसके कारोबार के मुख्य स्थान के सहज-दृश्य स्थान पर रखा जाएगा और यदि उसके कारोबार का मुख्य स्थान न हो या वह किसी विशेस स्थान से अन्यथा कारोबार चलाता हो तो वह इसे अपने पास रखेगा।

निबंधन प्रमाण-पत्र का प्रदर्शित रखा जाना।

50. इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाऐगी। विहित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियाँ होना।

51. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी कृत्य के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं चलाई जाएगी।

परित्राण।

52. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के सभी या कोई उपबन्ध,

अन्य व्यक्तियों पर अधिनियम ऐसे अपवादों, अनुकूलीकरणों या उपातरणों सिहत जैसे आवश्यक समझे जाएँ, झारखण्ड राज्य में बाह्य फोटो खींचने, गृह नौका, डोंगी, स्नानागार नौका (बेदिंग वोद) शिकारे इत्यादि को किराये पर देने या उन्हें चलाने के कारोबार में लगे व्यक्तियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, पर लागू होंगे और विहित प्राधिकारी, ऐसी की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें नियत कर सकेगा। को लागू करने की सरकार की शक्ति।

53. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

- (2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विशेष कर ऐसे नियमों में:
 - (क) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्याविंत करने के लिए किसी पर्यटन विकास प्राधिकार के लिए नियम बना सकेगी और विशेष कर निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी।
 - (i) प्राधिकार की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाना;
 - (ii) अप्राधिकृत संरचनाओं को हटाना;
 - (iii) ऐसे भवनों को गिराना, जिनसे योजना में बाधा पड़ती हो या जो प्राधिकार के विनियमों का उल्लंघन करते हुए खड़े किये गये हों;
 - (İV) प्राधिकार के कर्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विषयों पर प्राधिकार द्वारा राज्य सरकान की रिर्पोटो और विवरणियों का उपस्थापन: और
 - (V) राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों का जारी किया जाना, जिनमें इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक सिद्धांत अधिकथित हों।
 - (ख) पर्यटन इकाई संचालक, यात्रा अभिकर्ताओं, गाइडों और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा कारोबार के संचालन के लिए, पंजियों, पुस्तकों और प्रपत्रों का संधारण करना;

- (ग) निबंधन के लिए आवेदन और निबंधन के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र;
- (घ) निबंधन नवीकरण और डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, शुल्क;
- (इ.) इस अधिनियम के अधीन नोटिस देने की रीति:
- (च) पर्यटन इकाईयों का वर्गीरण;
- (छ) पर्यटन इकाई संचालक, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के रूप में निबंधन के लिए अर्हता;
- (ज) साहसिक क्रीड़ा के संचालन में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय और मानक तथा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ;
- (झ) विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाईयों में स्वास्थ्य और सफाई, अपशिष्ट निपटान और न्यूनतम सुविधाओं को बनाये रखने के लिए मानक;
- (ञ) रजिस्टर से हटाये गये, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति:
- (ट) वह रीति, जिसमें नियत उचित दरें प्रदर्शित की जाएगी, विहित प्राधिकारी की टिकटों के प्रकार, और जारी की जाने वाली रसीदें, उसके लेखे और विवरणी प्रस्तुत करना और बनाए रखना, अनुज्ञित शुल्क, नवीकरण शुल्क और अन्य देयों का संग्रहण और निक्षेप;
- (ठ) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया, पाठ्य-क्रम, कर्मचारीवृन्द, उपस्कर और भवनों के मानक; और
- (ड) वह स्थान, जहाँ विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जाँच करेगा और इस अधिनियम के अधीन स्पष्ट रूप में विहित किए जाने वाले सभी विषय।
- (3) इस धारा के अधीन बनाएँ गए सभी नियम पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्तो के अध्यधीन होंगे।

54. यथापूर्वोक्त के सिवाय, इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों व्यावृति और विनियमों के उपबंध, राज्य में प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के असंगत होने पर भी, प्रभावी होंगे।

> झारखंड राज्यपाल के आदेश से, बी0 बी0 मंगलमूर्ति, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0जी0-33/2015-130/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-15 अक्टूबर, 2015 को अनुमत **झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम**, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION ACT, 2015 (Jharkhand Act 17,2015)

An Act

to enact a law relating to registration of persons engaged in Tourist trade, Constitution of Tourism Development Authority(s) and other matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Jharkhand in the sixty sixth year of the Republic of India, as follows .

CHAPTER-I PRELIMINARY

- 1. (1) This Act may be called the Jharkhand Tourism Development Short title, and Registration Act, 2015. extent and
 - (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand. commencement
- (3) It shall come into force from the date of notification in the Official Gazette.
- 2 (1) The Government may by notification direct that all or any of the *Exemptions* provisions of this Act shall not, subject to such terms and conditions as it may specify, apply generally;

- i. to a premises used for a public purpose of a charitable nature or to any class of premises used for such purposes;
- ii. to a premises held by a public trust for a religious or charitable purpose let out at a nominal rent;
- iii. to a premises held by a public trust for a religious or charitable purpose and administered by a local authority; and
- iv. to a rest house, dak bungalow, circuit house, inspection hut, sarai or any institution or premises managed or run by the Government or a local authority.
- (2) The Government may also by order, direct that all or any of the provisions of Chapter-IV shall not apply to such hotels or institutions, or such class of hotels or institutions, subject to such terms and conditions, if any, as may be specified in the order.
- 3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context: Definitions
- (a) "adventure sports" means an outdoor activity undertaken for sports or recreation on land or in water or in the air as the case may be, which shall include water sports, aerosports, trekking, rock climbing, rafting, bunji-jumping and ballooning with an inherit risk to the life or limb of the participant or any other sports as may be notified by the Government from time to time:
- (b) "adventure sports operator" means any person or organization or enterprise, as the case may be engaged in or offering to engage for adventure sports on commercial basis i.e. for the purpose of training, recreation or sports;
- (c) "amenity" includes roads, water-supply, street lighting, drainage, sewerage, toilet, information centre, souvenir shop, garbage disposal, bar, restaurant, hotel, motel, golf course, amusement park, guest house, school, housing, hospital and various recreation facilities and such other convenience and facility as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be an amenity for the propose of this Act;
- (d) "Authority" means Tourism Development Authority established under Section 4 of this Act.
- (e) "Certificate of Registration" means a certificate issued under this Act.
- (f) "Department" means the Department of Tourism, Art Culture, Sports & Youth Affairs, Jharkhand.
- (g) "Government" means the Government of Jharkhand;
- (h) "guide" means a person who engages himself as a paid guide for the tourists;
- (i) "local authority" means the Municipal Corporation or Municipal Council or Cantonment Board or Nagar Panchayat or Gram Panchayat or Special Area Development Authority;
- (j) "malpractice" include cheating, touting, impersonation, obstruction in allowing free choice for stay or travel arrangement, charging rent or remuneration higher than that fixed under this Act failure to display the rent list, failure to give cash memos, willful failure to execute an order within the stipulated period and according to the terms agreed upon, failure to provide accommodation to the tourists when available, failure to provide promised facilities and providing substandard equipment and untrained personnel by the adventure sports operator;

Explanation - The expression "touting" means coercing for accommodation, transportation, sight seeing or pestering for any particular premises, establishment or any other services connected with tourism with the consideration of personal benefit;

- (k) "Official Gazette" means the Rajpatra, Jharkhand;
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "prescribed authority" means the authority notified as such by the Government 'provided that different authorities may be notified for different areas and for different provisions of this Act;
- (n) "regulation" means a regulation made under this Act by the Authority constituted under Section 4:
- (o) "rule" means a rule made under this Act by the State Government.
- (p) "season" means the period from 15th September to 15th March and from 15th April to 15th June; and rest of the period shall constitute "off-season";
- (q) "tourism unit" means any establishment providing facilities and services to the tourists and includes hotel, resort, motel, time share unit, appartment, house boat, motor caravan, guest house, yatri niwas, restaurant and bar, amusement park, theme park, water sports centre, aerosport centre, golf course, handicraft village complex, camp river cruise, lake cruise project light and sound show adventure sports complex, training institutes for adventure sports or tourism industry doing business for a monetary consideration and any others type of establishment as may be notified by the Government from time to time;
- (r) "tourism unit operator" means any person who owns, runs or operates a tourism unit and includes a person managing or operating the affairs on behalf of the proprietor;
- (s) "tourist" means a person or group of persons, including pilgrims visiting the State of Jharkhand; and
- (t) "travel agent" means a person engaged in the business of making travel arrangements for tourists for monetary consideration;

Explanation - the expression "travel arrangements" includes :-

- a) arrangement for transportation by any mode;
- b) arrangement for lodging with or without food; and
- c) rendering other services such as arranging for games and sports, receipt or despatch of personal belongings of a tourist or taking photograph(s) of a tourist, hiring of guides photographers, arranging equipment for travel or adventure sports.

CHAPTER-II TOURISM DEVELOPMENT AUTHORITY

4. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, establish an Authority to be known as the "Tourism Development Authority" for carrying out the purposes of this Act for a specific of the Authority. Tourist place, as may be notified by the State Government.

While notifying such tourist place, the extent and boundaries of such place would also be specifically mentioned so as to clearly demarcate the jurisdiction of such authority.

- (2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name sue and be sued.
- (3) (i) The Authority shall consist of a Chairman, a Managing Director, an Executive Director, six other Directors, who shall be nominated by the State Government and who shall hold their office, on terms and conditions to be prescribed in this behalf, at the pleasure of the State Government.
 - (ii) Directors of the Authority shall be nominated by the Government, by notification, from amongst the persons, who have outstanding contribution or expertise in the field of development and promotion of tourism industry and having experience of working in the tourism and travel trade for at least 10 years.
 - (iii) Principal Secretary/Secretary of Department of Tourism, Art Culture, Sports & Youth Affairs shall be the Chairman of the Authority.
 - (iv) The State Government may, if it is found to be expedient, appoint the same person as Chairman and Managing Director of the Authority.
- (4) (i) The Deputy Commissioner of the concerned district or as notified by the Government will be the Managing Director of the Authority. The Managing Director will also be the Vice Chairman of the Authority and carry out all the appertain functions in this regard.
 - (ii) The services of the Executive Director of the Authority shall be taken on deputation or on contractual basis for a period of three years in the first instance on extendable basis.

Such services may, however, be terminated in case of unsatisfactory performance or due to resignation after giving a notice of 15 days to either party.

- (iii) The Executive Director of the Authority shall perform, among others, the following duties under the general guidance of the Managing Director:
- a) he shall receive all the moneys on behalf of the Authority and issue receipt and maintain proper account for the same;
- b) he shall withdraw money from the fund of the Authority to make payments of salaries and allowances and for the expenditures of the Authority;
- c) he shall attest any order of the Authority;
- d) he shall be the Member Secretary of the Authority and carry out all functions appertain therewith;
- e) he shall carry out any such duty, which may be assigned to him from time to time by the Authority or State Government.
- (5) The non-official Directors shall be paid such allowances as may be notified by the Government from time to time.

- (6) Every Director and every officer and employee of the Authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.
- 5. (1) The non-official Directors shall hold office of the Authority for a *Term of* period of two years from the date of their appointment and they *office*. shall be eligible for re-appointment.
 - (2) If the Government considers that the continuance in office of any non-official Director is not in the interest of the Authority, the Government may make an order as terminating his term and thereupon, he shall cease to be a member of the Authority not withstanding the fact that the term to which he was nominated has not expired.
 - (3) Any non-official Director of the Authority may resign his office by a letter addressed to the Chairman and the resignation shall take effect from the date of acceptance of his resignation by the Chairman.
- 6. A person shall be disqualified for being a member, if he:

Disqualifications.

- a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
- b) is an un-discharged insolvent; or
- c) is of unsound mind; or
- d) has been dismissed or removed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Government; or
- e) has directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest in any contract or employment with by or on behalf of the Authority.
- 7. (1) An ordinary meeting of the Authority shall be held once in a *Meetings of* quarter, on the date, time and place fixed by the Chairman. *the Authority*.
 - (2) The Chairman may, whenever he thinks fit call a special meeting.
- (3) Every meeting of the Authority shall be presided over by the Chairman and in his absence by the Vice-Chairman and in the absence of both, by any other member chosen by the member present.
- (4) The Member-Secretary of the Authority shall make available the notice along with the agenda of the meeting to all the members of the Authority at least twenty four hours before the meeting.
- (5) The presence of 50% members of the total number of the members of the Authority shall form the quorum of a meeting.
- (6) The proceedings of the meeting of the Authority shall be attested by the Chairman and maintained by the Member-Secretary of the Authority.
- (7) The Authority may form sub-committees as may be considered necessary to perform its functions and activities.

- (8) The duties, functions and the term of office of the sub-committees formed under sub-section (7) shall be determined by the Authority.
- 8 (1) The Authority shall have its own establishment, for which the regulations shall be framed with the prior approval of the Government.

Establishment, Power and functions of the Authority.

- (2) The Authority shall systematically execute and get executed necessary programmes and manage all the activities of the Department for achieving the objectives of this Act.
- (3) The Authority shall:
 - a) be responsible for planning, development and maintenance of the tourist place/zone amenities thereto and allotment of land, execution of lease, rent, charges and matters connected thereto.
 - b) provide and maintain the tourism related services such as information, reservations, guidance, parking, toilets, cleanliness of tourist spots, environmental upgradation, publicity etc.;
 - c) assist the local body in maintaining the sanitation and infrastructural facilities at the tourist spots;
 - build and maintain parks, lakes and recreation centres, fountains or any other such facility, which may enhance the tourism value of the area;
 - e) take up developmental measures for various sections of tourism industry and those engaged in allied activities;
 - f) regulate the construction, expansion, maintenance and operation of all tourism units and allied activities, subject to the general superintendence and control of the Department, in such a manner so that the tourism activities become environmentally and culturally sustainable;
 - g) prepare a tourism master plan for its area and all tourism units and establishment performing tourism related activities shall conform to the said master plan and the Authority may order to modify or close down the tourism units or establishment not conforming to the master plan;
 - h) regulate all such activities and services in the notified tourist place, which commensurate with the religious sentiments of the tourists visiting such notified tourist place so as to promote tourism in such place; and

- i) have the powers of the Commissioners of Municipality as specified in Section 196, 197, 198, 200, 201 and 202 of the Jharkhand Municipal Act, 2000 (Adopted) for purposes of removal of encroachment on roads, house gullies and land in the development area and properties of the Authority.
- j) perform such other duties and functions as may be entrusted to it from time to time by the Department or the Government.

(4) The Authority shall:

- a) charge fee on any of the direct services provided by it; and
- b) receive donations or grants from the Department, Central Government, State Government, Semi Government and Non-Government Organizations and any other source and also borrow from any source, with the prior approval of the State Government
- (5) The State Government may from time to time entrust the Authority with any other work that is connected with planned development, maintenance of the tourist place.
- (6) The State Government may, by notification in the Official Gazette vest the Authority or the Chairman or the Managing Director with power under any other Act for planning, development and maintenance of civil and tourist amenities like housing, schools etc. and vacation of encroachment, etc., that are exercisable by any local authority or statutory body or State Agency under any law for the time in force in this regard.
- (7) Where, in the opinion of the Authority, as a consequence of any development having been executed by the Authority in any development area the value of any property in that area which has been benefited by the development has increased, the Authority may, with the prior approval of the State Government, levy upon the owners of the property or any person having interest therein a betterment charge in respect of the increase in value of the property resulting from the execution of the development.

Provided that no betterment charge shall be levied in respect of land owned by the State or Central Government.

- (8) Such betterment charge shall be an amount in respect of any property situated in a development area, equal to one-third of the amount by which the value of the property on the completion of the execution of the development scheme, estimated as if the property were clear of buildings exceeds the value of the property prior to such execution estimated in like manner.
- (9) The State Government may acquire any land required for the purpose of the Authority, which shall be deemed "Public Purpose" under the Land Acquisition Act, 1894.
- (10) The State Government may, by a deed of lease, transfer, on terms and conditions as may be decided by the State Government, to the Authority, any developed or

- undeveloped land vested in the State of Jharkhand for the purpose of development or use in accordance with the provision of this Act.
- (11) If any land so placed at the disposal of the Authority under sub section (10) is required at any time by the State Government, the Authority shall restore it to the State Government.
- (12) Any money due to the Authority on account of fees, rent or charges, or disposal of land, building or other properties, moveable and immoveable, or by way of rents and profits, may be recovered by the Authority as arrears of land revenue under the State Public Demands Recovery Act, 1914.
- (13) The Authority may, with the prior approval of the State Government, by a Resolution published in the Official Gazette, make Regulations to carry out the purposes of this Act.
- 9 (1) The Authority shall have its own funds, to which shall be credited the following and all payment of the Authority shall be made therefrom:
 - a) All moneys received by the Authority from the State Government by way of grants, loans advances or otherwise;
 - b) All fees, rents, charges, levels and fines received by the Authority under this Act;
 - c) All moneys received by the Authority from disposal of its moveable and immoveable assets;
 - d) All moneys received by the Authority by way of loan from financial and other institutions and debentures floated for the execution of a scheme or schemes of the Authority duly approved by the State Government.
 - e) The authority can collect fund through private sources like donation, private loan etc.
 - f) The revenue generated through government and non-government sources will be managed under financial rule.
 - (2) The Authority shall have power, subject to the provisions of this Act, to spend such sums as it thinks fit to cover all administrative expenses of the Authority and on object or for purposes authorised by this Act and such sums shall be treated as expenditure out of the funds of the Authority.
 - (3) All money standing at the credit of the Authority which cannot immediately be applied as provided in sub-section (2) shall be deposited in P/L Account.

10 (1) The Authority shall prepare a budget every year in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditures of the Authority and shall forward it to the State Government such number of copies thereto as may be prescribed by Rules and the State Government may issue any directive as may be considered expenditure for the purpose of this Act.

Budget, Accounts and Audit

- (2) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance sheet in such form as may be prescribed by the Government.
- (3) The accounts of the Authority shall be audited annually by the Internal Audit Section under the Finance Department, Jharkhand and any expenditure incurred by it in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Internal Audit Section under the Finance Department, Jharkhand and the Authority shall forward the same to the Department.
- (4) The Internal Audit Section under the Finance Department, Jharkhand shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as Accountant General of Jharkhand has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, documents and papers of the Authority.
- (5) The accounts of the Authority as certified by the Internal Audit Section under the Finance Department, Jharkhand together with the audit report thereon shall be forwarded annually by the Authority to the Department.
- 11. (1) Notwithstanding anything contained in section 10 the Government may order a special audit of the accounts of the Authority to be conducted by such person or agency as it may think fit relating to any particular transaction or a class or series of transactions for a particular period.

Special audit of accounts.

- (2) Where an order is made under sub-section (1), the Authority shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person or agency appointed under sub-section (1), such information as the said person or agency, may require for the purpose of audit.
- The Member-Secretary of the Authority shall prepare the annual report of the activities of the Authority within three months from report. the date of the expiry of the financial year and a copy thereof shall be forwarded to the Department.

CHAPTER-III

REGISTRATION OF TOURISM UNITS, TRAVEL AGENTS, GUIDES AND ADVENTURE SPORTS OPERATORS

13 (1) Every person intending to operate a tourism unit shall before Regis operating the tourism unit, apply for registration to the prescribed the to unit.

Registration of the tourism unit

Provided that any person already operating a tourism unit on the date of commencement of this Act, shall apply for registration within ninety days from the date of commencement of this Act;

Provided further that any person, operating a tourism unit makes any addition or alteration in the tourism unit, shall apply for fresh registration within ninety days from the date of such addition or alteration.

- (2) Every application made under sub-section (1) shall be disposed of within a period of ninety days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.
- (3) No person shall operate a tourism unit unless it is registered in accordance with the provisions of this Act.
- 14. (1) No person shall carry on the business of a travel agent or a guide unless he is registered in accordance with the provisions of this Act.

Registration of the travel agent of guide

Provided that no person shall be eligible to be registered as a guide, unless he possesses such qualifications as may be prescribed.

Provided further that notwithstanding any prescribed qualification, the persons who are working as guides, on the date of commencement of this Act, shall ipso facto be registered as guides.

(2) Every person intending to act as a travel agent or a guide shall, before he commences to act as such apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner:

Provided that any person acting as travel agent or a guide on the date of commencement of this Act, shall apply for registration within ninety days from the date of commencement of this Act.

- (3) Every application made under this Section shall be disposed of within a period of ninety days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.
- 15. (1) No person shall carry on the business of adventure sports unless he registered in accordance with the provisions of this Act.

Registration of the adventure sports operator

- (2) Every person intending to operate an adventure sports institute or to act as an adventure sports operator shall before he commences to act as such, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), any person already acting as an adventure sports operator shall apply for registration within ninety days from the date of commencement of this Act.
- (4) Every application, made under this section shall be disposed of within a period of ninety days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.
- The prescribed authority shall, unless registration is refused under Section 13, 14 or 15 direct the name and particulars of the tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, cause to be entered in the register maintained for the purpose and shall issue a certificate of registration to the tourism unit or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, in the prescribed form.

Certificate of registration of the tourism unit travel agent, guide and adventure sports operator.

17 The prescribed authority may refuse registration of the tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, under this Act on any of the following grounds:

Refusal to register the tourism unit, travel agent, guide and adventure sports operator.

- (a) If the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, is convicted of any offence under Chapters-XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or any offence punishable under any law providing for prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him.
- (b) If the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, has been declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged.
- (c) If the name of tourism unit operator or a travel agent or a guide or an adventure sports operator, as the case may be, has been removed from the register on the grounds mentioned in clauses (c), (d), (e), or (g) of Section 18 and three months have not elapsed since the date of such removal.
- (d) if the premises of the tourism unit do not conform to the prescribed standard;

- (e) if the travel agent or a guide or an adventure sports operator does not possess any of the prescribed qualifications;
- (f) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, does not hold a certificate of registration required to be held by him under this Act.
- (g) if the tourism unit operator fails to produce the proof that the structure of the tourism unit has been built in accordance with the building bye-laws made under the provisions of the relevant Act or under any other local laws in force; and
- (h) if in the opinion of the prescribed authority there is any sufficient ground to be recorded in writing, for refusing registration:
 - Provided that no application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been allowed an opportunity of being heard.
- The prescribed authority may, by order, in writing remove the name of tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, from the register and cancel the certificate of registration issued under Section 16, on any of the following grounds, namely

Removal of name of the tourism unit, travel agent, guide and adventure sports operator from the register.

- (a) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, ceases to operate the tourism unit or ceases to act as a travel agent or a guide or an adventure sports operator for which he is registered;
- (b) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, is convicted of any offence under Chapters-XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;
 - (c) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or an adventure sports operator, as the case may be, is declared insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged;
 - (d) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, fails to comply with any of the provisions of this Act or rules framed thereunder;

- (e) if the tourism unit operator fails to remove a lodger or willfully keeps the lodger in a tourism unit, who becomes a nuisance for the inmates in his tourism unit as well as adjoining building(s);
- (f) if any complaint of malpractice is received and proved against the tourism unit operator or the travel agent or the guide or adventure sports operator, as the case may be;
- (g) if the tourism unit operator makes structural changes in the tourism unit without the approval of the appropriate authority under the relevant Act or any other local authority constituted under the local law;
- (h) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, has obtained the certificate of registration by misrepresentation or fraud;
- (i) if the adventure sports operator does not maintain equipments, manpower and other facilities according to prescribed standards for safety;
- (j) if the adventure sports operator does not take the precautions regarding safety measures, as may be prescribed; and
- (k) if such tourism unit operator, or the travel agent or the guide or the rts operator, as the case may be, fails to comply with any of the directions issued by the Department from time to time or obstructs the inspection of its premises by the authorised officers of the Department or indulges in any such activities, which is detrimental to growth of tourism and its promotion.

Provided that before removing the name of any tourism unit or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, from the register under this section, the prescribed authority shall give a notice to the tourism unit or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, indicating the grounds on which it is proposed to take action after giving him an opportunity of being heard.

- The prescribed authority may in consultation with the committee to be constituted in the prescribed manner;

 Classification of tourism unit.
 - (a) classify the tourism units into various classes, as may be prescribed; and
 - (b) fix the number of lodgers to be accommodated in each room in case of accommodation.
- 20. (1) The prescribed authority shall, notify the fair rates or service Notifying the charges, if any, commensurate to the standard/class of the tourism fair rates. units and quality of food, accommodation and service, as specified by the tourism unit, which may be charged during "season" and "off-season" periods for boarding or lodging or for both from the tourists:

Provided that in case of dispute with regard to the rates to be charged, the decision of the committee constituted under Section 19, shall be final:

Provided further that the rates for lodging shall be notified with reference to each room or specified accommodation and the number of the lodgers to be accommodated.

- (2) The prescribed authority shall notify the fair rates, as may be specified by the travel agent or by the guide, which may be charged for the services rendered to a person engaging him as such.
- (3) The prescribed authority shall, notify the fair rates, as may be specified by the adventure sports operator commensurate to the standard of the adventure sports and other facilities, which may be charged by him from the tourists or from the customers.
- 21. The prescribed authority shall, from time to time, revise the fair rates notified under Section 20.

Revision of fair rates.

22. Till such time, the prescribed authority does not notify the fair rates and the number of lodgers to be accommodated in each room, as required under Sections 19 and 20, the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, shall notify the fair rates and intimate the same to the prescribed authority by 31st July each year and separate rates may be fixed for "season" and "off- season" periods and such rates shall be effective from 1st October of that year till 30th September of the following year.

Notifying the fair rates until notified by the prescribed authority.

23. Where under Sections 19 and 20, the prescribed authority has notified or revised the fair rates, the number of lodgers to be accommodated in each room, or even in case where the prescribed authority has not notified the fair rates, the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, shall display a notice of the fair rates, the number of lodgers to be accommodated in each room at a conspicuous place in a tourism unit, business premises of the travel agent, the guide or the adventure sports operator and an agent of the tourism unit operator shall also keep a copy certified by the prescribed authority, of such information on his person.

Display of information

24 (1) Notwithstanding any agreement to the contrary, no tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall charge any amount in excess of the fair rates notified.

Charges recoverable in excess of fair rates.

(2) Any sum paid by the lodger or by a customer in excess of the fair rates fixed shall be refundable to the lodger or to a customer by the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, through the prescribed authority.

25. No tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall evict or refuse any service to a lodger or to a customer so long as he pays or is ready and willing to pay the fair rates notified and observes and implements the other conditions of his agreement in so far as they are consistent with the provisions of this Act.

No ejectment to be made if fair rates paid.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, a tourism unit operator shall be entitled to recover possession of the accommodation provided by him on obtaining an order from the prescribed authority to the effect that:

When tourism unit operator may recover possession.

- (a) the lodger has been guilty of a conduct which constitutes a nuisance or annoyance to any other lodger; or
- (b) the lodger has failed to pay the accommodation charges; or
- (c) the lodger has failed to vacate the accommodation on termination of the period of the agreement in respect thereof:

Provided that before issuing an order under this section, the prescribed authority may conduct a summary enquiry and shall pass an appropriate order in a summary manner.

Provided further that any party aggrieved by an order of the prescribed authority may prefer an appeal before the Deputy Commissioner of the concerned district, who shall dispose it of in a summary manner.

- (2) If the lodger against whom the order has been passed under sub-Section (1) does not comply with the said order, the prescribed authority may take assistance from the police for the implementation of the order and every police officer shall render the assistance for the implementation of the said order.
- Every tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall present detailed bills to the lodgers and other customers and shall give receipt in acknowledgement of all payments.

Tourism Unit operator, travel agent, guide and adventure sports operator to present detailed bills.

If a tourism unit operator confirms a booking, at a particular rate, he shall, even if accommodation at higher rates alone is available at the time of arrival of the person for whom accommodation stands booked, be honoured at the booked rate

When the tourism unit operator may honour confirmation of booking at a particular rate.

.

28

26

29

(1) The prescribed authority or any officer authorised by the Government may, in order to ensure that any of the provisions of this Act is not being implemented by the tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, enter the tourism unit or business premises of the travel agent or guide or adventure sports operator and inspect all accounts, registers, documents and other books with or without prior notice.

Power of entry, inspection, seizer and supply of statistical data by tourism unit operator etc.

- (2) If the prescribed authority or any officer authorized by the Government has reasons to suspect that any tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, is attempting to evade or has evaded any of the provisions of this act, such authority or officer may, for reasons to be recorded, seize such accounts, registers, documents or other books of such tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, as may be necessary, and shall grant a receipt of the same and retain the same so long as may be necessary for examination thereof or for the purpose of any proceedings under this Act.
- (3) Every tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator shall supply statistical data regarding inflow of tourists, the employees employed by the unit concerned and any other information as directed by the department by the tenth of each following month to the prescribed authority.
- The travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall not demand tips, gratuity, presents or commission other than the rates as fixed under Section 20 from any person engaging him or from any tourism unit operator, in whose tourism unit such person resides or intends to reside

Travel agent
guide and
adventure
sports operator
not to demand
tips etc.

31. The adventure sports operator shall provide sufficient insurance cover as may be prescribed to persons availing of his services.

Insurance.

CHAPTER-IV APPEAL AND REVISION

32. (1) Subject to the provisions of sub-Section (2), an appeal shall lie from every order of the prescribed authority under this Act to the appellate authority to be appointed by the Government.

Appeal.

(2) Every such appeal shall be preferred within ninety days from the date of passing of the order:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

- (3) The appellant shall have a right to be represented by a counsel or by a duly authorised agent and the prescribed authority may be represented by such officer or person as the prescribed authority may appoint.
- (4) On receipt of any appeal, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, pass such order as it may deem fit, after recording the reasons thereof.
- 33. The revisional authority, to be appointed by the Government, may, either on *Revision* its own motion or on an application made by an aggrieved party, call for the records of any case disposed of by an appellate authority, for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any order passed by appellate authority, it may pass such order theron as it may deem fit and such order shall be final:

Provided that no such application for revision shall be entertained after the expiry of the said period of ninety days from the date of passing of the order passed by the appellate authority;

Provided further that revisional authority on its own motion can call from the record of any case decided or pending before any authority and pass such order as it may deem fit;

Provided further that no order under this section shall be made to the prejudice of a person unless he has had a reasonable opportunity of being heard either personally or through a counsel or by a duly authorised agent.

CHAPTER-V OFFENCES AND PENALTIES

Any person who violates any order of the Authority in respect of removal of any structure or encroachment or uses any land or building in contravention of any regulation framed by the Authority in this behalf shall be punishable with fine which may extend up to Rs 1,00,000/- or simple imprisonment for a term which may extend to six months or both and in case of continuing offence with further fine, which may extend to Rs 500/- for every day after conviction till such violation continues.

Penalty for violation of any order of the Authority

(2) All fines realized in connection with prosecution under this Act shall be paid to the Authority.

- (3) No court below the rank of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act.
- Any person, carrying on the business of a tourism unit or travel agent or guide or adventure sport or any other business connected with tourist trade, as the case may be, without a proper registration under this Act or in contravention of any of the provisions of this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term not exceeding six months or with fine not exceeding Rs. 50,000.00 or with both, and if the breach is continuing with a minimum fine of Rs. 500.00 per day and maximum of Rs. 2,000.00 per day till the default continues.

Penalty for default in registration.

If any person who is required to make a statement under this Act, willfully makes a false statement or suppresses a material fact with the intention to mislead the prescribed authority, he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding Rs. 25,000.00 or with both.

Penalty for false statement

Any person who lends, transfers or assigns the certificate of registration issued under this Act, without the permission in writing of the prescribed authority, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding Rs. 50,000.00 or with both.

Certificate not to be assigned without permission.

38. (1) Any person registered under this Act shall at all times, on demand, produce and show his certificate of registration to any of the following persons, namely:

Certificate to be shown to persons on demand.

- (a) the prescribed authority or any other officer duly authorised by it in this behalf;
- (b) any authority authorised by the Government or any officer authorised by the Director, Tourism, Jharkhand; and
- (c) any bonafide customer.
- (2) Any person who refuses on demand to show his certificate to, or allowed to be read by, any of the persons authorized to demand it, shall be punishable with fine not exceeding Rs. 10,000.00.
- Any person who commits a malpractice or contravenes any other provision of this Act for which no specific penalty has been provided, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding Rs. 1,00,000.00 or with both.

Penalty for malpractice

If any person wilfully obstructs or offers any resistance to, or otherwise interferes with the discharge of the functions of the prescribed authority or any other officer authorised by it, exercising any power, or performing any duties conferred or imposed upon it or him by or in pursuance of this Act or the rules made thereunder, he shall be liable to punishment with simple imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding Rs. 1,00,000.00 or with both.

Obstructing lawful authorities

All offences under this Act shall be tried in a summary way by a Chief Judicial Magistrate or by any other Judicial Magistrate of the First Class specially authorised by the High Court and the provisions of Sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply to such a trial

2 of 1974

Power of court to try cases summarily.

Provided that when at the commencement of or in the course of a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that it is for any reason, undesirable to try summarily, the Magistrate shall after hearing the parties record an order to that effect and thereafter recall any witness, who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

42 No prosecution shall be instituted against any person for any offence under this Act, except on a complaint made by the prescribed authority or the officer authorized by it or the Government in this behalf.

Institution of proceedings.

The prescribed authority shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while hearing an application under this Act in respect of the following matters, namely:

5 of 1908

(a) summoning and enforcing attendance of the complainant or the person against whom complaint is made under this Act and witnesses required in connection therewith;

Powers of prescribed authority to summon and enforce attendance of witnesses and other persons

- (b) compelling the production of any document; and
- (c) examining witnesses on oath, and may summon and examine suo moto any person, whose evidence appears to be material.
- 44. (1) The prescribed authority may accept from any person who is *Compounding* reasonably suspected of having committed an offence under this *of offences*. Act, a sum of money by way of compounding of such offence and may out of the money so received, compensate the person against whom the offence has been committed, to the extent the prescribed authority deems reasonable.

On the composition of offence, no further proceedings in respect thereof shall be taken against the accused and if any proceeding has already been instituted against him in a court, the composition shall have the effect of acquittal.

CHAPTER -VI MISCELLANEOUS

45. (1) Whenever a tourism unit for which a certificate of registration is held by a person devolves by inheritance or otherwise upon any other person or undergoes a change in respect of any particular entered in the register under this Act, such person shall, within thirty days of the date of such devolution or change, notify in writing the fact to the prescribed authority.

Notification of changes.

- (2) The prescribed authority shall make necessary changes in the register maintained for the purpose and in the certificate of registration.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the prescribed authority may remove from the register the name of the person in whose favour the certificate was issued and cancel the certificate of registration, if the successor is not eligible to be registered under this Act.
- 46. When a certificate of registration is cancelled under this act, the person holding the certificate shall, within seven days from the date of service in the manner prescribed of the order of cancellation, return it to the prescribed authority.

Return of the certificate of registration

47. If a certificate of registration issued under this Act is lost, damaged or destroyed, the prescribed authority shall, on an application made in this behalf by that person holding such certificate and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate certificate.

Duplicate certificate

48. The tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, registered under this Act shall get renewed the registration certificate after a period of three years from the date of issuance of registration certificate by the prescribed authority and shall also pay renewal license fee as may be prescribed.

Renewal of certificate

49. The certificate of registration shall be kept by a person holding it in a conspicuous place at the principal place of his business and if he has no principal place of business, he shall keep it on his person.

Certificate of registration to be kept exhibited.

50. All proceedings before the prescribed authority under this Act shall be deemed to be judicial proceedings for the purposes of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

45 of 1850

Proceedings before the prescribed

authority to be judicial proceedings.

51. No suit, prosecution or other legal proceedings, whatsoever shall lie against the Government or any person in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Indemnity

52. The Government may, by notification in the Official Gazette, direct that all or any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder shall, with such exceptions, adaptations or modifications as may be considered necessary, apply to persons doing the business in the State of Jharkhand of outdoor photography or of letting or plying for hire house-boats, dongas, bathing, boats, shikaras, dandis, pithus, ponies as may be specified in the notification and the prescribed authority may fix the rates to be charged for the services to be rendered.

Power of Government to apply Act to other person.

53. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for :
 - (a) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act for a Tourism Development Authority and in particular provide for;
 - i) removal of encroachments on lands belonging to the Authority;
 - ii) removal of unauthorized structures;
 - iii) demotion of buildings which may interfere with the planning or which may have been erected in contravention of the Regulations of the Authority;
 - iv) the submission of reports and returns by the Authority to the State Government on matters relating to the duties, power responsibilities of the Authority;
 - v) the issue of directions by the State Government laying down broad principles for the fulfillment of aims and objects of the Act.
- (b) the maintenance of registers, books and forms by tourism unit operators, travel agents, guides and adventure sports operators for the conduct of the business;

- the form of application for registration and certificate of registration. (c)
- the fee for the registration, renewal and issuance of duplicate certificate; (d)
- the manner of giving notices under this Act; (e)
- (f) classification of tourism units;
- qualification for registration as tourism unit operator, travel agent, guide and (g) adventure sports operator;
- (h) safety measures and standards to be adopted in the conduct of rts and facilities to be provided;
- standards for maintenance of hygiene and cleanliness, waste disposal and (i) minimum facilities in various types of tourism units;
- manner of publication of the names and addresses of the tourism unit, travel (j) agent, guide and adventure sports operator removed from the register;
- manner in which the fair rates shall be displayed, type of tickets and receipts (k) to be issued, submission and maintenance of accounts and statement thereof to the prescribed authorities and collection and deposit of license fee, renewal fee and other dues;
- (1) procedure for admission to training institutes, standard of syllabus, staff, equipment, and buildings; and
- the place where prescribed authority shall hold enquiry under this Act and (m) all matters expressly required to be prescribed under this Act.
- (3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.
- 54 Save as aforesaid, the provisions of this Act and Rules and Regulations Savings made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law in force in the State.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, बी॰ बी॰ मंगलमूर्ति, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।